न्यायालय **सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक** मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक), **झुंझुनूं जिला झुन्झुनू**

पीठासीन अधिकारी :: **सुप्रिया** आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 129 / 2024

फुलाराम **– बनाम –** **मदनलाल वगै0**

प्रार्थना पत्र बाबत हुक्म अदुली

एडवोकेट प्रार्थी :– रविन्द्र सिंह शेखावत
एडवोकेट अप्रार्थी :– कुलदीप सिंह व विक्रम सिंह

आदेश

दिनांक 8/7/25

संक्षेप में प्रार्थना इस आशय से पेश गया है कि :– प्रार्थी ने दिनांक 19.04.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में वाद पत्र पेश किया था तथा उसी दिन उक्त न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 84 / 2021 का भी इस आशय का पेश किया था कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 3009, 3010, 4184 / 3010, 4185 / 3010 ग्राम भोड़की में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें तथा आवेदक के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करें तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी मदनलाल पुत्र कालूराम निवासी भोड़की उक्त भूमि पर स्थगन होने के बावजूद कानून विरूद्ध विद्युत कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया है जिसको विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृत कर दिया है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत पोल गाड़ दिये गये हैं तथा विद्युत लाईन खींच दी गई है। जबकि उक्त भूमि पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना लगातार की जा रही है तथा स्थगन आदेश को भी मानने से इंकार कर दिया है। अप्रार्थी को पूर्व में भी दिनांक 25.07.2023 को विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किये जाने बाबत् नोटिस दिया गया था। उक्त नोटिस अप्रार्थी को प्राप्त हो जाने के बावजूद अप्रार्थी विद्युत विभाग ने अप्रार्थी मदनलाल से मिली भगत कर विद्युत पोल व विद्युत लाईन खेंच दी है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य न्यायालय आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् हुक्मउदुली इस न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। अन्त में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.04.2021 की जानबुझकर अवहेलना किये जाने के कारण इन्हें तीन माह के सिविल कारावास भिजवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 औपचारिक पक्षकार है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट श्री विक्रम सिंह ने वकालतनामा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया एवं कथन किया कि अनावेदक संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना नहीं की गई है। नोटिस प्रस्तुत किये जाने की अनावेदक संख्या 1 को कोई जानकारी नहीं है, ना ही विद्युत पोल व विद्युत लाईन खींची गई है। इस कारण न्यायालय आदेश की अवहेलना नहीं हुई है। अन्त में अनावेदकगण की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र हुक्म अदुली श्रीमान् जी समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से मय हर्जा खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

जवाब देही पूर्ण होने पर साक्ष्य के रूप में फुलाराम व रूकमणी देवी ने शपथ पत्र पेश किए। दोनो साक्षियों के बयान गवाह कर पत्रावली में शामिल किए गए। जबावदेही व साक्ष्य पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.04.2021 की जानबुझकर अवहेलना किये जाने के कारण इन्हें तीन माह के सिविल कारावास भिजवाये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस के जबाव में वकील अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से जारी की गई थी कि अनावेदकगण ग्राम भोड़की के खसरा नम्बर 3009, 3010, 4184/3010, 4185/3010 कुल किता 4 कुल रकबा 2.7500 है0 में आवेदक के हिस्से में कोई निर्माण नहीं करें। आवेदक फुलाराम का रकबा 2.7500 है0 में हिस्सा केवल 1/10 अर्थात् रकबा 0.2750 है0 है। अवशेष भूमि पर अप्रार्थीगण मकानात बनाकर काबिज है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पक्षकार नहीं है ना ही विद्युत लाईन बाबत् किसी प्रकार का स्थगन रहा है, जिसके आदेश की नकल संलग्न है। तारबन्दी व मेडबन्दी निर्माण की परिभाषा में नहीं आता है पुरानी तारबन्दी को दुरूस्त किया है तथा तारबन्दी बाबत् किसी प्रकार का स्थगन मौके पर नहीं है। ट्युबवेल आवश्यक सुधार एवं आवश्यक सेवा में आता है इसलिए पानी मुलभूत सुविधा होती है तथा किसी स्थगन की आड़ लेकर मुलभूत सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। पूर्व में बने टयुबवेल को आधार बनाकर अवमानना का प्रकरण नहीं चलाया जा सकता है। अन्त में लिखित बहस पेश कर वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण ने किसी भी कानून की अवहेलना नहीं की है। गलत आधार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबुतों एवं दस्तावेजात् के आधार पर यह साबित नहीं होता है कि न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 19.04.2021 की पालना अप्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र बाबत् हुक्म उदुली स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र हुक्म उदुली पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 10/07/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुझुनू